



राजस्थान सरकार
आयोजना विभाग
राजस्थान जन आधार प्राधिकरण,
योजना भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम जयपुर
E-mail - Janadhaar.des@rajasthan.gov.in Tel. No. 0141-2850218

क्रमांक : एफ17(13)6 / रा.ज.आ.प्रा. / स्टोर / निविदा / 2022 / 175 दिनांक : 21-01-2025

कोटेशन के लिये आमंत्रण

वित्तीय वर्ष 2024-25 में निम्नलिखित कार्य हेतु सीलबन्द कोटेशन आमंत्रित किये जाते हैं:-

क्र.सं	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत
1	जूट बैग एवं पेन ड्राइव क्रय हेतु	रु. 85,000 /- (GST अतिरिक्त)

उक्त कोटेशन आमंत्रण राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के प्रावधानों के अधीन है। अतः कोटेशनदाता को इनके प्रावधानों के अनुरूप प्रस्ताव देने हैं।

कोटेशनदाता को आयकर एवं जी.एस.टी नियमों की पालना करना आवश्यक होगा। बिड की सामान्य शर्तें एवं जूट बैग एवं पेन ड्राइव की विशिष्टताओं की जानकारी कोटेशन फार्म में उपलब्ध है तथा कोटेशन फॉर्म प्राधिकरण कार्यालय (कमरा नम्बर 317) से कार्यालय समय में दिनांक 23.01.2025 को सांय 02:00 P.M. बजे तक प्राप्त कर सकते हैं। पूर्ण रूप से भरे हुये कोटेशन फॉर्म प्राधिकरण कार्यालय (कमरा नम्बर 317) में दिनांक 23.01.2025 को सांय 03:00 P.M. बजे तक प्राप्त किये जाकर दिनांक 23.01.2025 को उपापन समिति द्वारा सांय 03.30 P.M. बजे खोले जायेंगे।

अद्योहस्ताक्षरकर्ता को किसी भी कोटेशन को बिना कोई कारण बताये निरस्त/ अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार होगा।

(सीताराम स्वरूप)

संयुक्त निदेशक

क्रमांक : एफ17(13)6 / रा.ज.आ.प्रा. / स्टोर / निविदा / 2022 / 176-80
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

दिनांक : 21-01-2025

1.
2.
3.
4. सदस्य समस्त, उपापन समिति रा.ज.आ.प्रा.।
5. नोटिस बोर्ड, रा.ज.आ.प्रा. एवं आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जयपुर।

संयुक्त निदेशक
Signature valid

Digitally signed by Sitaram Swaroop
Designation: Joint Director
Date: 2025.01.21 13:27:01 IST
Reason: Approved

कार्यालय का पता:- कमरा नं. 330, तृतीय तल, योजना भवन, तिलक
फोन नं. 0141-2921387, ईमेल आई डी janaadhaar.des@rajasthan.gov.in
वेब साइट <https://janaadhaar.rajasthan.gov.in/>





राजस्थान सरकार
आयोजना विभाग
राजस्थान जन आधार प्राधिकरण,
योजना भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम जयपुर

Quotation for Jute Bag & Pen Drive Supply

(A) Bid Data Sheet (BDS)

कोटेशन का पूर्ण विवरण	
1 कार्य का विवरण :	जूट बैग एवं पेन ड्राइव क्रय हेतु
2 कार्य की अनुमानित लागत	85,000 /—
3 कोटेशन जमा कराने की अंतिम तिथि :	23.01.2025 समय 03:00 P.M. बजे तक
4 कोटेशन खोलने की तिथि तथा समय :	23.01.2025 समय 03:30 P.M. बजे

कोटेशन दाता का पूर्ण विवरण	
1 कोटेशनदाता/फर्म का नाम	
2 कोटेशनदाता/फर्म का पूरा पता	
3 मोबाईल नम्बर	
4 टेलीफोन नम्बर	
5 ई-मेल	
6 कोटेशन दाता/फर्म का PAN नम्बर	
7 जी.एस.टी. नंबर यदि हो तो	
8 कोटेशन दाता /फर्म का बैंक विवरण	खाता धारक का नाम :
	बैंक व शाखा का नाम :
	खाता संख्या :
	IFSC CODE:

(B) Instructions to Bidders (ITB)

- कोटेशन प्रपत्र भरने से पूर्व संलग्न शर्तों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लें एवं इसी के अनुरूप निविदा के लिए आवेदन करें। सशर्त एवं दोहरे कोटेशन मान्य नहीं होंगे।

दिनांक

कोटेशनदाता के हस्ताक्षर मय मोहर
Signature valid

Digitally signed by Sita Ram Swaroop
Designation: Joint Director
Date: 2025.01.21 16:27:01 IST
Reason: Approved

कार्यालय का पता:— कमरा नं. 330, तृतीय तल, योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर
फोन नं. 0141-2921387, ईमेल आई डी janaadhaar.des@rajasthan.gov.in
वेब साइट <https://janaadhaar.rajasthan.gov.in/>



राजस्थान सरकार
आयोजना विभाग
राजस्थान जन आधार प्राधिकरण,
योजना भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम जयपुर

मैं/हम एतद् द्वारा घोषणा करते हैं कि :-

1. हमने राजस्थान जन आधार प्राधिकरण जयपुर द्वारा जारी की गई कोटेशन सूचना संख्या : एफ17(13)6/रा.ज.आ.प्रा./स्टोर/निविदा/2022/175 दिनांक 21.01.25 तथा संलग्न शर्तों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लिया है, पढ़ कर समझ लिया है, इनसे बाध्य होना स्वीकार करते हैं तथा बिड की समस्त शर्तों पर काम करने के लिए सहमत हैं।
2. हमारी फर्म का किसी प्रकार का Income Tax / GST / VAT / Service Tax आदि बकाया नहीं है।
3. हमारी फर्म को पूर्व में किसी भी राजकीय विभाग/संस्थान अथवा उपक्रम द्वारा Black listed नहीं किया गया है।
4. मेरे फर्म/प्रतिष्ठान के मालिक अथवा प्रतिनिधि द्वारा निविदित कार्य को करने के दृष्टिकोण से भलीभांति समझ लिया गया है।
5. यदि उपापन समिति अथवा संस्थान के प्रतिनिधि आवश्यक समझें तो हम इन्हें अपनी सेवा अथवा आपूर्ति का Demonstration देने के लिये पूर्णतः सहमत हैं।
6. राजस्थान जन आधार प्राधिकरण जयपुर को किसी भी कोटेशन प्रपत्र/कोटेशन को बिना कोई कारण बताये निरस्त/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार होगा।

कोटेशनदाता के हस्ताक्षर

Signature valid

Digitally signed by Sitaram Swaroop
Designation: Joint Director
Date: 2025.01.21 16:27:01 IST
Reason: Approved

कार्यालय का पता:- कमरा नं. 330, तृतीय तल, योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर
फोन नं. 0141-2921387, ईमेल आई डी janaadhaar.des@rajasthan.gov.in

वेब साइट <https://janaadhaar.rajasthan.gov.in/>

Page 3 of 7

राजस्थान सरकार
आयोजना विभाग
राजस्थान जन आधार प्राधिकरण,
योजना भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम जयपुर

जूट बैग एवं पेन ड्राइव हेतु कोटेशन की शर्तें :-

1. कोटेशनदाता द्वारा आयकर विभाग का पैन् संख्या की छाया प्रति संलग्न करना आवश्यक है। जिसके अभाव में कोटेशन निरस्त कर दी जायेगी।
2. कोटेशन दस्तावेज नियत दिनांक व समय तक उपापन समिति अध्यक्ष के कार्यालय के कमरा संख्या 317 में जमा करवाया जाना आवश्यक है।
3. प्राप्त कोटेशन दस्तावेज नियत दिनांक व समय पर उपापन समिति द्वारा उपस्थित कोटेशनदाताओं के समक्ष खोली जावेगी।
4. किये जाने वाले भुगतान पर नियमानुसार टी.डी.एस. की राशि काटी जावेगी।
5. कोटेशन प्रारूप पूर्णरूपेण सही एवं स्पष्ट रूप से भरा जाना आवश्यक है। कोटेशनदाता कोटेशन के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में कोटेशन की समस्त शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा। शर्त रहित कोटेशन ही स्वीकार होगी।
6. दर शब्दों एवं अंकों दोनों में लिखी जाएगी। इसमें कोई त्रुटियां एवं या अपरिलेखन नहीं होना चाहिए। यदि कोई शुद्धियां करनी हो तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं दिनांक सहित उन पर लघुहस्ताक्षर कर सील (फर्म की) किए जाने चाहिए। अंको एवं शब्दों में अन्तर होने पर शब्दों में अंकित राशि मान्य होगी।
7. अनुमोदित प्रदायकर्ता (सप्लायर) के लिए यह समझा जाएगा कि उसने प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता की सावधानीपूर्वक जाँच कर ली है। यदि उसे इन शर्तों के किसी भाग, स्पेसीफिकेशन आदि के आशय के बारे में कोई सन्देह हो, तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व, उसे क्रेता अधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।
8. प्रदाय हेतु संविदा को, यदि सामग्री की सप्लाई क्रेता अधिकारी की सन्तुष्टि के अनुसार नहीं की जाती है, तो कोटेशनदाता को सुनवाई का एक व्यक्तिगत अवसर देने के बाद क्रेता अधिकारी किसी भी समय निरस्त कर सकता है।
9. दरें एफ.ओ.आर. कार्यालय राजस्थान जन आधार प्राधिकरण, तृतीय मंजिल योजना भवन, जयपुर होगा एवं समस्त माल भाड़ा चुका कर भेजा जाएगा।

10. भुगतान :-

- 1:-सामग्री की सुपुर्दगी के लिए भुगतान कोटेशनदाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्रारूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जाएगा तथा सभी प्रेषण प्रभार कोटेशनदाता द्वारा वहन किए जाएंगे।
 - 2:- उन मामलों के संबंध में जिनमें परीक्षण करने की जरूरत है, भुगतान तभी किया जाएगा जब वे परीक्षण कर लिए जाएंगे तथा हुए परीक्षण परिणाम विहित स्पेसीफिकेशन के अनुरूप होंगे।
11. कोटेशन प्रपत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप में समझा जाएगा तथा सफल कोटेशनदाता क्रेता अधिकारी से वर्क ऑर्डर के प्राप्त होने से निर्धारित अंशों के भीतर सप्लाई करेगा।

Signature valid

Digitally signed by Sita Ram Swaroop
Designation: Joint Director
Date: 2025.01.21 15:27:01 IST
Reason: Approved

कार्यालय का पता:- कमरा नं. 330, तृतीय तल, योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर
फोन नं. 0141-2921387, ईमेल आई डी janaadhaar.des@rajasthan.gov.in
वेब साइट <https://janaadhaar.rajasthan.gov.in/>



जन आधार



जन आधार

12. समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार (सरकार या ठेकेदार) द्वारा जयपुर में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जाएगी अन्यत्र पेश नहीं की जाएगी।
13. कोटेशनदाता द्वारा प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक है।
14. कोटेशनदाता को दरें संलग्न दर प्रपत्र में प्रस्तुत की जानी है।
15. प्रशिक्षण के अंतर्गत जूट बैग एवं पेन ड्राइव आपूर्ति हेतु जारी कार्यदेश में अंकित अवधि में ही आपूर्ति करना अनिवार्य है अन्यथा नियमानुसार शास्ति आरोपित की जायेगी।
16. कोटेशनदाता द्वारा कोटेशन प्रपत्र स्याही से भरा जायेगा या अंकित किया जायेगा। पेंसिल से भरी कोटेशन पर विचार नहीं किया जावेगा। कोटेशन के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में कोटेशन की समस्त शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।
17. कोटेशन में दी गई कुल दर के अलावा अन्य कोई प्रभार देय नहीं होगा।
18. कार्य आदेश सूची अनुसार सामग्री उपलब्ध करवानी होगी।
19. परीक्षणों के मामले में कोटेशन दाता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में सामग्री का निरीक्षण किया जायेगा।
20. जूट बैग एवं पेन ड्राइव आपूर्ति समाप्ति पर बिल दो प्रतियों में प्रस्तुत करना होगा। सक्षम अधिकारी से प्रमाणित होने पर बिल का भुगतान किया जावेगा।
21. कोटेशन केवल कार्यालय द्वारा जारी प्रपत्र पर ही मान्य होगी।
22. कोटेशन स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार निदेशक, रा.ज.आ.प्रा., जयपुर के पास सुरक्षित होंगे और उनका निर्णय अंतिम तथा मान्य होगा।
23. कोटेशन खोलने के बाद यदि आवश्यकता हुई तो नेगोशियेशन किया जा सकता है।
24. गंतव्य स्थानों पर सामान को निर्धारित समय पर पहुंचाने की पूर्ण जिम्मेदारी फर्म की होगी। जिसके लिए कोई अतिरिक्त चार्ज देय नहीं होगा।
25. प्रदाय की जाने वाली सामग्री उत्तम स्तर की प्रदाय करनी होगी।
26. सामग्री निर्धारित स्थान पर उपलब्ध कराने का दायित्व कोटेशनदाता का होगा। अतिरिक्त आवश्यकता होने पर वांछित व्यवस्था/सामग्री एक घण्टे की अवधि में करनी होगी।
27. कोटेशनदाता के पास सामग्री विक्रय का सक्षम प्राधिकारी का अनुज्ञापत्र होना चाहिये। उक्त स्वीकृति की प्रति निविदा के साथ संलग्न करनी होगी।
28. **सुपुर्दगी अवधि :-** कोटेशनदाता जिसकी कोटेशन स्वीकार की जाएगी, वह सप्लाई आदेश की तारीख से आदेशानुसार आवश्यकता होने पर अविलम्ब अथवा अधिकतम तीन दिवस में आपूर्ति करनी होगी।
29. **परिनिर्धारित क्षति:** परिनिर्धारित क्षति के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन स्टोर के मूल्यों के लिए की जाएगी जिनकी कोटेशनदाता सप्लाई करने में असफल रहा है:-
 1. विहित सुपुर्दगी अवधि को एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2.5 प्रतिशत
 2. एक चौथाई से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनाधिक के लिए 5 प्रतिशत
 3. आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनाधिक अवधि के लिए 7.5 प्रतिशत
 4. विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए 10 प्रतिशत
 5. विलम्ब की अवधि में आधे दिन से कम भाग को छोड़ दिया जायेगा
 6. परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।

कार्यालय का पता:- कमरा नं. 330, तृतीय तल, योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर
फोन नं. 0141-2921387, ईमेल आई डी janaadhaar.des@rajasthan.gov.in

वेब साइट <https://janaadhaar.rajasthan.gov.in/>

Signature valid

Digitally signed by Sita Ram Swaroop
Designation: Joint Director
Date: 2025.01.21 15:27:01 IST
Reason: Approved



जन आधार



जन आधार

7. यदि प्रदायकर्ता (सप्लायर) किन्ही बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल सप्लाई को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करना चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसके द्वारा प्रदायगी हेतु आदेश दिया गया है। किन्तु वह उसके लिए निवेदन बाधा के दृष्टित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।
30. राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम 2012/नियम 2013 एवं GF & AR के सभी आवश्यक प्रावधान इस कोटेशन के भाग होंगे।
31. मैंने सभी शर्तों का अध्ययन कर लिया है एवं उल्लेखित सभी शर्तें मुझे स्वीकार्य हैं।

दिनांक

कोटेशनदाता के हस्ताक्षर
मय पूर्ण नाम व पता (सील सहित)

Signature valid

Digitally signed by Sita Ram Swaroop
Designation: Joint Director
Date: 2025.01.21 16:27:01 IST
Reason: Approved

कार्यालय का पता:- कमरा नं. 330, तृतीय तल, योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर
फोन नं. 0141-2921387, ईमेल आई डी janaadhaar.des@rajasthan.gov.in
वेब साइट <https://janaadhaar.rajasthan.gov.in/>

Page 6 of 7



राजस्थान सरकार
आयोजना विभाग
राजस्थान जन आधार प्राधिकरण,
योजना भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम जयपुर

वित्तीय कोटेशन प्रपत्र
जूट बैग एवं पेन ड्राइव की दरें

फर्म का नाम मय

पता.....

.....

मोबाईल नम्बर ई-मेल आईडी

क्र.स.	आइटम का नाम	प्रस्तुत दर रुपये प्रति नग/सदस्य (जी.एस.टी. के अतिरिक्त)
1	32 जी बी पेन ड्राइव	
2	जूट बैग साइज़ (15.5 X 12 X 5) (इंच)	

प्रस्तुत की जाने वाली सामग्री के नमूने भी संलग्न करें।

दिनांक

कोटेशनदाता के हस्ताक्षर
मय पूर्ण नाम व पता (सील सहित)

Signature valid

Digitally signed by Sitaam Swaroop
Designation: Joint Director
Date: 2025.01.21 19:27:01 IST
Reason: Approved

कार्यालय का पता:- कमरा नं. 330, तृतीय तल, योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर
फोन नं. 0141-2921387, ईमेल आई डी janaadhaar.des@rajasthan.gov.in
वेब साइट <https://janaadhaar.rajasthan.gov.in/>

Page 7 of 7